37

1

उत्तर प्रदेश शासन,
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4
संख्या– 28/23–24–सिं0–4–111(डब्ल्यू)/2008टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 08 फरवरी, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र (NWIC) के समर्थन एवं सहयोग से राज्य के जल संसाधन आंकड़ों के समन्वय, संग्रहण और प्रसार हेतु एक समर्पित संस्था के रूप में राज्य स्तरीय स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (SWIC) की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

2- UPSWIC (Uttar Pradesh State Water Informatics Centre) एक समर्पित निकाय के रुप में राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों से जल सम्बन्धी आवधिक (Periodic) डाटा के संग्रह हेतु नियमित प्रणाली स्थापित कर प्राइमरी एवं सेकेण्डरी स्तर पर डेटा सत्यापन तथा राज्य की आवश्यकताओं के अनुरुप NWIC या स्वयं विकसित एप्लीकेशन्स के माध्यम से विश्लेषण एवं प्रसार किये जाने की दिशा में कार्य करेगा। इस प्रकार UPSWIC का मूल उद्देश्य, राज्य स्तर पर जल संसाधनों के बेहतर नियोजन एवं प्रबन्धन हेतु आवश्यक सत्यापित डाटा को डिजिटल माध्यम द्वारा ऑनलाइन कर जल संसाधन सूचना प्रणाली के साथ राज्यों को सशक्त बनाना है तथा पारस्परिक रुप से केन्द्रीय स्तर पर बेसिन प्लानिंग एवं क्षेत्रीय जल नीति को सुदृढ़ कर NWIC से समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय एवं सूक्ष्म स्तर (Micro Level) पर डाटा के प्रसार हेतु केन्द्रीय प्रणाली का उपयोग कर जल सम्बन्धी समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। UPSWIC संगठन विशेष रुप से निम्न कार्य करेगा :–

1. राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उपलब्ध जल सम्बन्धी डेटा का संग्रह, नया डेटाबेस तैयार करना, मानकीकृत जी0आई0एस0 प्रारुप में व्यवस्थित करना और Scalable Web-enabled सूचना प्रणाली विकसित करना।
2. राज्य के अन्तर्गत जल सम्बन्धी आंकडों एवं सूचनाओं का रख–रखाव, अद्यतन, मिलान एवं सत्यापन कर प्रसार करना।
3. केन्द्र और राज्य सरकार के संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ–साथ आम जनता के बीच Hydro-Metrological डेटा को साझा करना।
4. जी0आई0एस0 डेटाबेस के Multi-layer Stacking में उपलब्ध Tools के माध्यम से Value added Map विकसित कर योजनाकारों (Policy Planners) को राज्य जल संसाधन सम्बन्धी समस्त डेटा का एकीकृत आलोकन (अनुश्रवण, आंकलन, फीडबैक) प्रदान करना।
5. राज्य की आवश्यकता के अनुरुप NWIC द्वारा विकसित प्लेटफार्म के माध्यम से Time Series एवं Geospatial Data को केन्द्र एवं अन्य राज्यों के मध्य आपस में साझा करना।
6. राज्यों की आवश्यकता के अनुसार NWIC की सहायता से संग्रहीत समस्त जल सम्बन्धी आंकडों के आधार पर Reports, Dashboards, Application & Decision Support System को विकसित करना।
7. उत्तर प्रदेश राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली (UP-WRIS) को राज्य डेटा के लिए डेटा प्रसार मंच के रुप में विकसित किया जाना है और जल सूचना प्रबन्धन प्रणाली (WIMS) पोर्टल पर राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र (NWIC) के साथ डेटा साझा करना है।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (UPSWIC) की स्थापना के आवश्यक क्रियान्वयन की कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–I/148586/2022/418/22–27–सिं0–04–111(डब्ल्यू)/2018 दिनांक 22 मार्च, 2022 द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रमुख विभाग (लीड डिपार्टमेण्ट) के रुप में तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांकः191/प्र0अभि0/मु0अभि0(सू0प्र0सं0)/दिनांक 25.03.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नोडल अधिकारी के रुप में नामित किया गया है।

3- UPSWIC में निम्न पद होंगे :–

उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (UPSWIC) लखनऊ

क्र0 सं0		विभागीय पद	पदनाम UPSWIC	संख्या
अ–	विभागीय अधिकारी (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0)			
	1–	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 सूचना प्रणाली संगठन (सिविल)	मुख्य अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन	01
	2–	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	अधीक्षण अभियन्ता (ADMIN/SYSTEM/SERVICE)	01
	3–	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक)	अधीक्षण अभियन्ता (DATA)	01
	4–	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	अधिशासी अभियन्ता (ADMIN/MAINTENANCE)	01
	5–	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	अधिशासी अभियन्ता (DATA)	01
	6–	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	अधिशासी अभियन्ता (SYSTEM/SERVICE)	01
	7–	अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक)	अधिशासी अभियन्ता (DATA)	01
	8–	खण्डीय लेखाधिकारी (DAO)	लेखाधिकारी	01
	9–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक अभियन्ता (DATA-WRIS)	03
	10–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक अभियन्ता (DATA-WIMS)	03
	11–	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	सहायक अभियन्ता(DATA-WRIS/WIMS)	01
	12–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक अभियन्ता (SYSTEM)	01
	13–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक अभियन्ता (SERVICE)	01
	14–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक अभियन्ता (MAINTENANCE)	02
	15–	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	जूनियर इंजीनियर	04
ब–	विषय विशेषज्ञ (प्रतिनियुक्ति)			
	1–	भूगर्भ जल विभाग	1–अधिशासी अभियन्ता (DATA-WRIS/WIMS)	01
			2–सहायक भूभौतिकविद (DATA-WRIS/WIMS)	01
			3– जल संसाधन विशेषज्ञ/हाइड्रोलॉजिस्ट	01
			4–ग्राउण्ड वॉटर विशेषज्ञ	01
	2–	कृषि विभाग	कृषि विशेषज्ञ	01
	3–	रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर विभाग	विशेषज्ञ (जी0आई0एस0)	01
स–	विषय विशेषज्ञ (आउटसोर्सिंग)			
			1– विशेषज्ञ (जी0आई0एस0)	01

Scanned with CamScanner

			2– विशेषज्ञ (हार्डवेयर/नेटवर्किंग)	01
			3– विशेषज्ञ (डाटाबेस)	01
			4– विशेषज्ञ (सॉफ्टवेयर/वेब)	01
द	सपोर्ट स्टाफ (विभागीय) (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0)			
	1–	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	01
	2–	आशुलिपिक	वैयक्तिक सहायक	01
	3–	वरिष्ठ लिपिक	वरिष्ठ सहायक	03
	4–	कनिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ सहायक	03
य	अन्य सपोर्ट स्टाफ (आउटसोर्सिंग)			
	1–	कम्पयूटर ऑपरेटर/ डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	कम्पयूटर ऑपरेटर/ डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	04
	2–	सुरक्षा गार्ड (2 x3 Shift)	सुरक्षा गार्ड (2x 3 Shift)	02
	3–	इलेक्ट्रीशियन/जनरेटर ऑपरेटर	इलेक्ट्रीशियन/जनरेटर ऑपरेटर	01
	4–	हेल्पर (अनुसेवक)	हेल्पर (अनुसेवक)	05
	5–	सफाई कर्मी (स्वीपर)	सफाई कर्मी (स्वीपर)	01

4– उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी/विशेषज्ञ/वैज्ञानिक/कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (UPSWIC) में पदस्थापित किये जायेंगे, जो कि मुख्य अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ के नियन्त्रण में अपने कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। विभागों से विषय–विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेषज्ञों की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (UPSWIC) से अनुमोदन के उपरान्त प्राप्त की जायेंगी।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले विशेषज्ञों तथा अन्य सपोर्ट स्टाफ की सेवाएं मुख्य अभियन्ता सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ द्वारा वाह्य एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त की जायेंगीं, तथा इनके नियंत्रक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ रहेंगे।

UPSWIC के लिए उक्त पदों के अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रतिनियुक्ति/ आउटसोर्सिंग द्वारा अधिकारियों/विषेषज्ञों की सेवाएं, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (UPSWIC) से अनुमोदन के उपरान्त प्राप्त की जायेंगी।

UPSWIC से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय राज्य स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

5– मुख्य अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ, विभागीय स्तर पर मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (परिकल्प एवं शोध) के कार्यक्षेत्र के अधीन रहेंगें। मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के वित्तीय अधिकार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की प्रचलित वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित शासनादेशों के अन्तर्गत रहेंगे। मुख्य अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ का सीधे यह दायित्व होगा कि वे पूर्व में स्थापित संगठन स्वारा/ स्वारा–डैक/पैक्ट, इत्यादि के साथ समन्वय रखेंगे तथा इन संगठनों के पास उपलब्ध डाटा एवं कन्सलटेन्सी के माध्यम से जो जल सम्बन्धी कार्य किये गये हैं, इत्यादि को डिजिटल रुप में प्राप्त कर संग्रहित करेंगें एवं अन्य राज्यों व केन्द्र सरकार के साथ शेयर करना सुनिष्चित करेगें।

Scanned with CamScanner

6— उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक सेन्टर (UPSWIC) की स्थापना, क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु बजट व्यवस्था प्रमुख विभाग (लीड डिपार्टमेण्ट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, जल शक्ति विभाग।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन/कृषि/वन/भू–गर्भ/नमामि गंगे/लघु सिंचाई विभाग/उद्योग/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/(परियोजना)/(यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (परिकल्प एवं शोध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (स्वारा), वाल्मी भवन, उतरेठिया, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिल्डिंग नं0–टीसी–12 वी विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, जान्हवी सदन, 21/496 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
13. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वां तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, तृतीय तल, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ ।
16. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एण्ड एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी निदेशक, राज्य पेय जल स्वच्छता मिशन एवं नमामि गंगे, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
18. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बी–2 ब्लाक, पिकअप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
19. निदेशक, राज्य कृषि निदेशालय, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

21. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी), 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
22. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
23. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, दसवां तल, जवाहर भवन अशोक मार्ग, लखनऊ।
24. आयुक्त, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
25. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित प्रणव)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner